न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मसूदा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प देवमाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रेमी पत्नि सोहन जाति रेगर V/s मुकेश पुत्र राजू वैगरह रूपपुरा (पीथावास) V/s 128 LR Act मु०न० 08/2015 प्रशासन शहरों के संग केम्प	
24/7/15	प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी है। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहता है। अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।	
	हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 मौजा पीथावास पटवार हल्का केलू तहसील मसूदा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा-0-02-0 किस्म गै०मु० चाह भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।	
	-: आदेश :-	
	प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा पीथावास पटवार हल्का केलू तहसील मसूदा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 0-02-00 किस्म भूमि के पड़ौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी से नियमानुसार 100/- रुपये पत्थरगढी शुल्क वसूल किये जाकर राजकोष मे जमा करवाया जावे। तहसीलदार मसूदा को दो प्रतियों मे रुक्का जारी करे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 24/7/15 को केम्प कार्यालय हाजा मे सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.26 17:00:38 IST
Reason: SelfAttested